

जनसत्ता 16 सितंबर, 2014: यातायात-नियमों के अनदेखी पर जुरमाने के प्रावधान का अपेक्षित असर नजर नहीं आता। इसके मद्देनजर समय-समय पर जुरमाने की रकम बढ़ाई गई और करावास की सजा आदि के कड़े नियम बनाए गए, पर उसका भी कोई खास नतीजा आ पाया। सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के मारे जाने के आंकड़े हर साल कुछ बढ़ रहे हैं। नजर आते हैं। इस मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। हमारे यहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की सबसे बढ़ती वजह लोगों का यातायात-सुरक्षा के नियमों का पालन न करना है। बहुत सारे लोग इन नियमों को तोड़ना जैसे अपनी शान समझते हैं। फिर लाल बत्ती पार कर जाने, गाड़ी चलाने के समय मोबाइल फोन पर बात करने, हेलमेट न पहनने, नशे में या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, तय संख्या से अधिक लोगों को बठाने, बगैर लाइसेंस या पंजीकरण के वाहन चलाने आदि पर जुरमाने की रकम इतनी कम है कि बहुत-से इसकी परवाह नहीं करते और जुरमाना चुक कर अपनी पुरानी आदतें जारी रखते हैं। इसलिए कुछ साल पहले नियम बनाकर यातायात-नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालक के लाइसेंस को मशीन में डाल कर चिह्नित किया जा रहा है। तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पर इसका भी बहुत असर नहीं दिखाई दे रहा। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सड़क यातायात एवं सुरक्षा विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक यातायात-नियमों के गंभीर उल्लंघन पर चालक को महज जुरमाना अदा करने और कुछ समय जेल में गुजारने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उसका लाइसेंस पांच साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है।

प्रस्तावित कानून के तहत यातायात-नियमों के उल्लंघन का बयौरा केंद्रीय स्तर पर दर्ज किया जा सकेगा। वाहन चालक के लाइसेंस को मशीन में चिह्नित किया जाएगा। हर गलती पर उसे ले कर चार अंक तक जुर्माने का और बारह अंक होते ही लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पर समस्या यह है कि इस नियम के तहत उन्हीं लाइसेंसों को चिह्नित किया जा सकेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से बनाए गए हैं। यह तकनीक पूरे देश में तो दूर, दिल्ली में ही ठीक से काम नहीं कर पा रही है। बहुत सारे राज्यों में अब भी कगज वाले लाइसेंस चलन में हैं। जो लोग दूसरे राज्यों से ऐसा लाइसेंस बनवा कर दिल्ली आते और वाहन चलाते हैं, उनके लाइसेंस को चिह्नित करना कैसे संभव होगा? फिर बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि खुद यातायात पुलिस प्रस्तावित कानूनों के अमल में कितनी सज्जीदगी दिखाती है। यातायात नियमों के उल्लंघन की प्रवृत्ति बंद की जाने के पीछे काफी हद तक यातायात पुलिस की लापरवाही भी रही है। ज्यादातर मामलों में उचित कार्रवाई के बजाय कुछ ले-देकर मामले को रफ-दफा करने का चलन-सा बनता गया है। इसलिए भी लोगों में नियम-कयदों की अनदेखी की प्रतिकूल प्रवृत्ति है। तय सीमा से अधिक बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान पहले से लागू है, मगर उसके अपेक्षित नतीजे नहीं आ पाए हैं। पहले पूरे देश में यातायात और सुरक्षा संबंधी स्थितियों पर विचार करते हुए इस महकमे से जुड़े लोगों को और जवाबदेह बनाना होगा, तभी सड़क पर अनुशासन और बेहतर सुरक्षा का भरोसा पैदा किया जा सकेगा।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>